



मुख्य नियम (सदस्यों हेतु)

1-एडवोकेट सेल्फ केयर टीम से जुड़ने हेतु आवश्यक सूचना संबंधी फार्म भरकर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है, साथ ही ASCT का टेलीग्राम / व्हाट्सअप पर आधिकारिक ग्रुप बनाया गया है, जिस पर समय समय पर सहयोग या नियम या अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती रहती है। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने संबंधी पोल या विचार सुझाव आदि के दृष्टिगत ग्रुप के सदस्यों को भी विचार रखने और पोल में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। यही कारण है कि ASCT का सदस्य बनने के साथ ही महत्वपूर्ण सूचनाओं से अपडेट रहने हेतु टेलीग्राम / व्हाट्सअप ग्रुप को सप्ताह में कम से कम 2 बार देखने और अपडेट रहने की भी बाध्यता रखी गयी है। कोई भी सदस्य अगर टेलीग्राम / व्हाट्सअप ग्रुप नियमतः नहीं देखता और संबंधित सूचनाएं यदि नहीं प्राप्त कर पाता तो संबंधित अधिवक्ता सदस्य स्वयं जिम्मेदार होगा। फिर भी प्रयास किया जाता है कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म तथा जनपदीय टीम के माध्यम से भी आवश्यक सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। ASCT का प्रथम दिवस से नियम है "जो सहयोग करेगा, उसे ही सहयोग मिलेगा" ASCT में प्रथम दिवस में सदस्यता पूरी तरह निःशुल्क है, टीम से जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता, बस दिवंगत सदस्यों के परिवार को सहयोग ही भेजना जरूरी होता है।

2- ASCT द्वारा हेल्पलाइन नंबर- 7007357961 / 7007074437 सदस्यों की सुविधा हेतु जारी किया गया है, जिसपर कॉल / व्हाट्सएप्प के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है। कोई भी सदस्य इस नम्बर पर कॉल या मैसेज करके सूचना दे / ले सकता है।

3-(A)-90 दिन के लॉक इन पीरियड से तात्पर्य यह है की यदि कोई अधिवक्ता 01 जनवरी को रजिस्ट्रेशन किया, तो यदि उसकी मृत्यु 31 मार्च की रात 12 बजे तक हो जाती है, तो उसे सहयोग नहीं किया जायेगा साथ ही एक जनवरी से 31 मार्च तक कोई सहयोग चलता है, तो उसका सहयोग करना भी बाध्यकारी होगा, लेकिन उस सहयोग के बदले लॉक इन पीरियड के दौरान मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी द्वारा सहयोग का दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसे सदस्य की मृत्यु सदस्य बनने के 91वें दिन हो जाती है या लॉक इन पीरियड के बाद उसे सहयोग करने मे अवसर मिले बिना ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे ASCT द्वारा सहयोग किया जायेगा क्योंकि उसे सहयोग करने का अवसर नहीं मिला तो उसकी सहयोग करने की निष्ठा को गलत नहीं माना जा सकता, इसलिए उसका सहयोग किये जाने का प्रावधान होगा।

3-(B)-गम्भीर बीमारी की स्थिति में लॉक इन पीरियड 1 वर्ष का होगा। यदि किसी सदस्य द्वारा रजिस्ट्रेशन करते समय या बाद में किसी गम्भीर बीमारी के हो जाने पर अपनी प्रोफाइल में दर्ज / अपडेट नहीं करता है तो तथ्यगोपन की श्रेणी में मानते हुए उसका सहयोग किया जाना सम्भव नहीं होगा। गम्भीर बीमारियों की श्रेणी इंडियन मेडिकल एसोसिएसन द्वारा सूचीबद्ध की गई बीमारियों से मान्य होगी।

3-(C)- ASCT कोर टीम सहयोग के आह्वान हेतु अपने स्वविवेक का भी इस्तेमाल करके निर्णय लेने को भी स्वतंत्र होगी, वैधानिकता या किसी भी प्रकार के मामलों में जहां उचित समझेगी अपने स्तर से परीक्षण

करने को स्वतंत्र होगी। कोई भी सदस्य/नामिनी सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा / अधिकार नहीं कर सकेगा, बल्कि संस्था नैतिकरूप से सहयोग करवाने का प्रयास करेगी।

3—(D)—ASCT दिवंगत सदस्यों के एक से अधिक नॉमिनी होने की स्थिति में दूसरे नॉमिनी को सहयोग सुनिश्चित करने हेतु स्वविवेक एवं स्वतः हस्तक्षेप करने को स्वतंत्र होगी, जिनपर लाभार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी या गैर कानूनी कदम नहीं उठाया जा सकेगा। लाभार्थी या उसके परिवार द्वारा संस्था के प्रति मिथ्या आरोप लगाने / भ्रम फैलाने / दुष्प्रचार करने या दुर्व्यवहार करने पर सहयोग की गई राशि वापस करवाकर किसी अन्य दिवंगत परिवार को हस्तांतरित करवाने का अधिकार रखती है। ऐसे मामलों में टीम कानूनी कार्यवाही भी करने के लिए स्वतंत्र होगी।

दुर्घटना में इलाज की शुरूआत रजिस्ट्रेशन के

-6 माह बाद से शुरू किया जायेगा। 3—(E)—सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी अधिवक्ता द्वारा गलती से अधिक राशि किसी सहयोग हो रहे / हो चुके नामिनी के खाते में भेज दी जाय तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नामिनी द्वारा वो धनराशि उस अधिवक्ता / सदस्य के खाते में वापस करना पड़ेगा। इस हेतु प्रदेश टीम गारंटी नहीं ले सकेगी किंतु नियमानुसार गलती से भेजी गई धनराशि को वापस करवाने हेतु सार्थक और पूर्ण प्रयास करेगी।

4- वर्तमान समय में सहयोग प्राप्त करने हेतु सभी सहयोग करना अनिवार्य है। सदस्य बनने के बाद लॉक इन पीरियड की अवधि के उपरांत समस्त सहयोग करने के बाद नियमतः जारी वेबसाइट / गूगल फॉर्म भरते हुए रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिना सहयोग किये या सहयोग करने के बाद गूगल फार्म न भर पाने की स्थिति में सहयोग प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं माना जा सकेगा। क्योंकि वैधानिकता की पुष्टि हेतु सहयोग के बाद फार्म भरना अनिवार्य है।

5-यदि किसी अधिवक्ता द्वारा सदस्य बनने के बाद सहयोग नहीं किया गया या बीच में किसी का सहयोग नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में वह वैधानिक सदस्य नहीं होगा। ऐसे सदस्य निम्नलिखित नियमों के तहत अपनी वैधानिकता सक्रिय कर सकेंगे।

6 (A)—ऐसे सदस्य जो जुड़ने के उपरांत लगातार सहयोग करते आ रहे हैं, अगर 10 सहयोग से पहले कोई सहयोग ब्रेक होता है, तो वैधानिकता समाप्त हो जाएगी किंतु एक बार वैधानिकता समाप्त होने पर लगातार 03 सहयोग करके सदस्यता पुनः बहाल की जा सकेगी। सहयोग पूरा होने तक यह सदस्य सहयोग प्राप्त करने हेतु वैध नहीं होगा, 3 सहयोग पूरा करते ही वह वैधानिक सदस्य हो जाएगा। लेकिन यह 01 सदस्य को केवल 01 ही बार ऐसा अवसर दिया जायेगा। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि बीच में केवल 02 सहयोग ही अधिकतम ब्रेक हुआ हो। इससे अधिक सहयोग ब्रेक होने की दशा में 6 (B) लागू होगा। सदस्य द्वारा 10 सहयोग कर देने पर ब्रेक होने की स्थिति में नियम 6(A) और 6(B) परिस्थितियों के अनुसार लागू होगा।

6(B) रजिस्ट्रेशन करने के बाद सहयोग न करने वाले सदस्य यदि स्वतः क्रियाशील होकर वैधानिक सदस्य बनकर सहयोग करने की स्थिति में एवं बीच में 02 से अधिक सहयोग। ब्रेक होने की स्थिति में, 05 सहयोग करने के बाद ही सदस्यता बहाल मानी जायेगी। जब तक 05 सहयोग नहीं किये जाते, बीच में मृत्यु होने की स्थिति में वह सदस्य अवैधानिक होगा और सहयोग नहीं प्राप्त कर सकेगा। कोर टीम की विशेष संस्तुति

पर लगातार 05 सहयोग करने पर ही सदस्यता बहाल की जा सकेगी। ऐसे मामले में 03 माह का लॉक इन पीरियड भी लागू होगा। (यह जरूरी नहीं कि 3 माह का लॉक इन पीरियड पूरा होने तक 5 सहयोग करने का अवसर आये, 03 माह के लॉक इन पीरियड पूरा करने के बाद 5 सहयोग पूरा करना भी अनिवार्य होगा)

6(C) जो सदस्य किसी कारण से सहयोग नहीं कर पाए, उनको हमेशा के लिए निकालने से अच्छा एक मौका देना है। यदि कोई नया रजिस्ट्रेशन करता है, तब भी लॉकिंग पीरियड होती है। उसी प्रकार जो अब तक सहयोग नहीं किया है और अब सहयोग करना चाह रहे हैं तो लगातार 05 सहयोग और उनके लिए 03 माह का लॉकिंग पीरियड होगा। लॉकिंग पीरियड 90 दिन का लागू होगा

6(D) किसी अन्य व्यस्तता, पारिवारिक व्यस्तता, समारोह, कार्यक्रम आदि अन्य स्थितियों स्वयं या पारिवारिक आदि की स्थिति में सहयोग छूट जाने की दशा में दावा मान्य नहीं होगा, इस हेतु क्रमिक सहयोग करके वैधानिकता बहाल करने की व्यावस्था / 10 सहयोग के बाद 90 प्रतिशत अवसरों में सहयोग की स्थिति सम्बन्धी नियम लागू होगा।

7- कम से कम 10 सहयोग हो जाने के बाद यह देखा जा सकेगा की किसी सदस्य ने 90 प्रतिशत अवसरों पर यानी 10 में से 09 बार कम से कम यदि सहयोग किया है, तो उसे किसी 01 का सहयोग न कर पाने के कारण उसकी सदस्यता न तो निलंबित होगी, न ही उसे सहयोग से इंकार किया जायेगा। बशर्ते सहयोग न कर पाने का वाजिब संतोषजनक कारण हो। इस प्रकार की छूट सहयोगों की कुल संख्या बढ़ने यानी 10 बार 20 बार 50 बार के साथ साथ विचाराधीन रहेगी और उसके सहयोग के प्रतिशत में 80% से 90% तक विचार किया जा सकेगा। लेकिन 10 सहयोग के बाद ही 90% का नियम अगले संशोधन तक लागू माना जायेगा। 10 सहयोग से पहले 90% अवसरों पर सहयोग के नियम को नहीं माना जायेगा। तब तक समस्त सहयोग करना अनिवार्य होगा। 8- किसी अधिवक्ता के सदस्य बनने के 10 सहयोग पूरे करने के उपरांत प्रति वर्ष अपरिहार्य स्थिति में 01 सहयोग न कर पाने की की दशा में केवल 01 छूट दी जा सकेगी, लेकिन पूर्व में उसके द्वारा सदस्य बनने के बाद 10 सहयोग किया गया हो।

9- सुसाइड या किसी विवादित केस या अन्य केस जो संज्ञान लेने लायक हो, में कोर टीम के पास पड़ताल करके वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद निर्णय लेने का अधिकार होगा। आवश्यकता पड़ने पर वोटिंग या जिला इकाई या सदस्यों की राय भी ली जा सकेगी।

9(A) वस्तुतः एक से अधिक अधिवक्ता सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु की तिथि के क्रम में ही सहयोग किया जाएगा। किंतु यदि किन्हीं दो या अधिक अधिवक्ता की मृत्यु एक ही तिथि में होती है तो ऐसी स्थिति में उस अधिवक्ता का सहयोग पहले किया जाएगा जिसके सहयोग करने का प्रतिशत / एवरेज अधिक होगा। उसके बाद अन्य का। उपरोक्त प्रकरणों में किसी विशेष परिस्थिति जैसे स्थलीय निरीक्षण न हो पाना, कुछ तकनीकी कमी आदि मामलों में कोर टीम सहयोग के क्रम का निर्णय अपने विवेकानुसार ले सकेगी।

9(B) नॉमिनी सम्बन्धी विवाद की स्थिति में प्रदेश / कोर टीम परीक्षणोपरांत निर्णय लेने और सहयोग करवाने हेतु स्वतंत्र होगी)

10- उपरोक्त नियमों से इतर हटकर न किसी का सहयोग किया जा सकेगा न ही किसी का सहयोग रद्द किया जा सकेगा।

10(A) अनुशासनहीनता, ASCT विरोधी गतिविधि या किसी प्रकार की साजिश करने वालों के विरुद्ध ASCT कोर टीम के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा। कोई भी अधिवक्ता ASCT के साथ साथ अन्य समान प्रकार के संघों / टीम में सदस्य के रूप में रह सकता है, किंतु किसी अन्य सम विषयक टीम के पदाधिकारी के रूप में कोई अधिवक्ता ASCT का वैध मेम्बर प्रथम दृष्टया नहीं होगा (इस प्रकरण पर कोर टीम निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगी) कोई भी व्यक्ति / अधिवक्ता या अन्य एडवोकेट सेल्फ केयर टीम / समिति के खिलाफ दुष्प्रचार या अफवाह फैलाता है, बिना सबूत या आंकड़े प्रस्तुत किये आरोप लगाता है तो टीम उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।

10(B) टेलीग्राम/व्हाट्सअप ग्रुप पर जानकारी हेतु समस्त सूचनाएं समय समय से प्रदान की जाती हैं। कोई सदस्य टेलीग्राम / व्हाट्सअप ग्रुप से सूचनाएं नहीं प्राप्त करता तो यह स्वयं जिम्मेदार होगा।

10(C) सदस्य हेल्पलाइन के माध्यम से अपना सवाल जवाब प्राप्त कर सकेंगे। 10(D) समय और आवश्यकता को देखते हुए ASCT के किसी भी नियमों में कभी भी संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा। शुरूआत में सहयोग राशि न्यूनतम 100/-रूपया रखा जा रहा है। सदस्यों की संख्या बढ़ने पर इसे न्यूनतम 50/- रूपया किया जायेगा।

10(E) ASCT सहयोग सीधे दिबंगत परिवारों के नॉमिनी के खाते में करवाती है। 11- ASCT किसी भी अधिवक्ता को जबरन या दबाव देकर सदस्य नहीं बनाती है, सदस्यों को नियम स्वीकार करके ही सदस्य बनने का विकल्प प्रदान किया जाता है, स्वेच्छा से कोई भी सदस्य कभी भी खुद को अलग कर सकता है। 12- ASCT से जुड़ने हेतु कोई भी सदस्यता शुल्क नहीं है, कोई भी अधिवक्ता नियम एवं शर्तों से सहमत होकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करके सदस्य बन सकता है और सहयोग कर सकता है। सहयोग पाने हेतु उपरोक्त नियमों के तहत ही दायेदारी होगी।

13- ASCT का सदस्य बनने के साथ ही ASCT के टेलीग्राम / व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य होगा क्योंकि सभी आधिकारिक सूचनाएं टेलीग्राम / व्हाट्सअप ग्रुप पर ही दी जाएगी। सुविधाओं के दृष्टिगत सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भी सूचनाएं देने का प्रयास किया जायेगा लेकिन यह किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा।

14- सहयोग के दौरान कूटरचित / फर्जी रसीद या नियमों के विपरीत कार्य करने वाले सदस्यों के बारे में कोर टीम निर्णय लेने की अधिकारी होगी। ऐसे सदस्यों की वैधानिकता भी समाप्त की जा सकेगी और लाभ से भी वंचित किया जा सकेगा)

15- व्यवस्था शुल्क यह अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। जो सदस्य चाहे वो समिति के खाते में मात्र 50/- वार्षिक जमा करके निम्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्था शुल्क का हिसाब समय समय पर समिति द्वारा दिया जायेगा। जिन सदस्यों ने व्यवस्था शुल्क समिति के खाते में जमा किया है उनको किसी दुर्घटना होने पर 1 लाख या उससे अधिक का बिल लगने पर 25 हजार से 50 हजार तक की मदद की जाएगी। यह मदद टीम के पास उपलब्ध धन पर निर्भर करेगा। जो कि निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगी-

1) ये सुविधा ASCT के वैधानिक सदस्य को ही मिलेगी। लाभ प्राप्त करने हेतु सदस्य द्वारा व्यवस्था शुल्क जमा करने की तिथि से 1 वर्ष पूरा होने तक लागू रहेगी, उसके पश्चात पुनः वार्षिक आधार पर जमा करना होगा।

2) ये सुविधा सिर्फ व्यवस्था शुल्क देने वाले को ही मिलेगी।

3) इस व्यवस्था के लिए कुल व्यवस्था शुल्क की 50% राशि ही उपयोग की जाएगी।

4) यह लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनका इलाज का खर्च 1 लाख से अधिक का होगा।

5) यह राशि तुरंत न दे कर स्थलीय निरीक्षण के बाद ही दी जाएगी। कैशलेस या हास्पिटैलिटी के समय ही यह खर्च दिया जाय यह जरूरी नहीं होगा, समय से सहयोग करने का प्रयास रहेगा लेकिन समस्त औपचारिकताओं की जांच करने के उपरांत ही सहयोग होगा।

6) कोशिश की जाएगी कि राशि सीधे हॉस्पिटल के खाते में दी जाए। यदि उस समय न सम्भव हुआ तो समय और परिस्थिति के हिसाब से कोर टीम निर्णय लेगी।

7) यह सुविधा सिर्फ दुर्घटना में ही मिलेगी। बीमारी आदि के इलाज पर नहीं (भविष्य में बीमारी को कवर करने की कोशिश की जाएगी)।

8) संसाधनों को देखते हुए और इलाज की गम्भीरता तथा उस पर खर्च को देखते हुए मिनिमम 25000 और अधिकतम 50,000 की ही मदद अभी की जाएगी संसाधन बढ़ने पर ये राशि 1 लाख तक बढ़ाई जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त समिति सभी सदस्यों की व्यवस्था शुल्क हेतु आयी राशि से निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगी

1) वेबसाइट के निर्माण और संचालन में

2) ऐप बनवाने और संचालन में

3) sms सुविधा उपलब्ध कराने में (TRAI से अनुमति मिलते ही यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी)।

4) एक आफिस और एक टेक्निकल सपोर्ट रखने में जो आपको तकनीकी मदद देगा।

5) स्थलीय निरीक्षण करने में।

6) ASCT से ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ताओं को जोड़ने के अभियान में।

7) समय समय पर नई तकनीकी का इस्तेमाल में ताकि प्रक्रिया पारदर्शी के साथ साथ आसान बन सके।

(भविष्य में जरूरतों को देखते हुए नियमों में परिवर्तन का अधिकार अधिवक्ता सेल्फ केयर टीम के पास होगा, विवादास्पद स्थिति में कोर टीम के पास निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।)

किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।

Note : सदस्यों द्वारा अपना सहयोग सीधा मृतक अधिवक्ता के नॉमिनी को दिया जाता है अतः आपके द्वारा दिए गए सहयोग के बदले सहयोग प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा, यह पूरी तरह सदस्यों की मर्जी पर निर्भर रहेगा, टीम द्वारा अपील करने पर सहयोग कम ज्यादा आने पर या ना आने की दशा में टीम जिम्मेदार नहीं होगी। क्योंकि टीम सिर्फ सहयोग की अपील करती

है।

अतः किसी तरह की देनदारी के लिए कानूनी अधिकार मान्य नहीं होगा । कोई तथ्य छुपा कर या बिना पात्रता पूरी किए जुड़ जाता है और सहयोग कर देता है तो उसका दावा मान्य नहीं होगा ।
